दिनांक 07.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 09/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा आजमगढ़ पुलिस को सीईआईआर पोर्टल पर सर्वश्रेष्ठ रिकवरी के लिए सम्मानित किया गया

श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में मोबाइल फोन रिकवरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए **आजमगढ़ पुलिस** को भारत सरकार के **संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications)** द्वारा संचालित **सीईआईआर (Central Equipment Identity Register) पोर्टल** के माध्यम से **सर्वश्रेष्ठ रिकवरी प्रदर्शन** हेतु सम्मानित किया गया।

यह सम्मान कसौली हिमांचल प्रदेश में आयोजित नॉर्थ जोन सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान **डीजी टेलीकॉम श्रीमती सुनीता चंद्रा** द्वारा प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के दौरान आजमगढ़ पुलिस द्वारा उक्त उपलब्धि किस प्रकार प्राप्त की गयी के सम्बन्ध में **डीजी टेलीकॉम श्रीमती सुनीता चंद्रा** द्वारा प्रेजेंटेशन भी दिया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उक्त उपलब्धि के लिए आजमगढ़ पुलिस को बधाई दी गयी।

भारत दूरसंचार

DOT

INDIA TELECOM

Annual Security Conference for North Zone LSAs and LEAs,

Solan, HP, 6th Nov, 2025

(सशक्त संचार - अभिनव सुरक्षा)

Certificate of Appreciation

by

Department of Telecommunications

(Government of India)

This Certificate of Appreciation is proudly presented to

Ajamgarh District Police Authority, Uttar Pradesh

in recognition of their outstanding contribution in recovery of stolen/lost mobile devices traced on CEIR (Central Equipment Identity Register) Portal in Uttar Pradesh

S Chandra

(Smt. Sunita Chandra)

Director General Telecom

06th November, 2025

दिनांक 07.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 10/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आयोजित परिक्षेत्र स्तरीय कार्यशाला का पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया शुभारम्भ</u>

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 07.11.2025 को जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आयोजित परिक्षेत्र स्तरीय कार्यशाला का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया गया।

इस अवसर पर एडीजी कानपुर जोन, आईजी कानपुर रेंज, पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात, सीडीओ कानपुर देहात, विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों के शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएँ, विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, स्थानीय निकायों के सदस्यगण, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कानपुर देहात एवं कानपुर परिक्षेत्र के साइबर सेल तथा थानों के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी, मीडिया बंधु तथा साइबर विशेषज्ञ श्री अमित दुबे एवं श्री राहुल मिश्रा सहित एक हजार से अधिक लोग उपस्थित रहें।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत सामयिक एवं उपयोगी कार्यशाला है। आज के डिजिटल युग में साइबर उपयोग जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। कोविड काल के पश्चात ई कॉमर्स के क्षेत्र में लगभग-60 से 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की सक्रियता में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है। वर्तमान समय में अधिकांश लोग इंटरनेट से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, किन्तु इसके दुरुपयोग की घटनाएँ भी सामने आ रही हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज का युवा वर्ग साइबर गेमिंग की लत जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के सम्बोधन के प्रमुख बिन्दुः-

1. समाज पर साइबर अपराध का प्रभाव

वर्तमान परिदृश्य में समाज का शायद ही कोई वर्ग साइबर क्राइम से अप्रभावित रहा हो।

- हमारे स्कूली बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं।
- महिलाएं एवं बालिकाएं साइबर स्टॉकिंग तथा अन्य महिला-केंद्रित साइबर अपराधों की शिकार होती हैं।

2. डिजिटल अरेस्ट — एक उभरता खतरा

डिजिटल अरेस्ट एक उभरता हुआ साइबर अपराध है, जिससे सभ्रांत वर्ग के नागरिक शिकार हुए हैं और जीवन भर की कमाई गंवा चुके हैं।

3. आर्थिक अपराध के तीन प्रमुख कारण

अधिकांश लोग तीन कारणों से साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं —

1. लालच
2. भय
3. लापरवाही

4. नागरिकों के लिए तीन जरूरी उपाय

साइबर अपराध से बचाव के लिए नागरिकों को इन तीन उपायों पर ध्यान देना चाहिए:

- तत्काल 1930 डायल करें।
- गोल्डन टाइम-फ्रेम के भीतर रिपोर्ट करें।
- सही तथ्यों को दर्ज करें।

5. बच्चों और युवाओं में साइबर सजगता

बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव के बारे में सतर्क करना आवश्यक है।
आज के युग में सोशल मीडिया नशे की तरह युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है।
इसके लिए हमें और अधिक सतर्क एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।

6. पुलिस अधिकारियों के लिए संदेश

थाना प्रभारियों को यह अवधारणा त्यागनी होगी कि “साइबर अपराध की जांच हम नहीं कर सकते।”

साइबर अपराध की जांच (Investigation) पूर्णतः SOP आधारित एवं व्यवस्थित (Straightforward) है।

यदि कोई अधिकारी इसे खुले मन से सीखना चाहे तो इसके छह–सात चरणों को समझकर पाएगा कि यह विवेचना सामान्य आपराधिक जांच से भी अधिक सरल और त्वरित है।

साइबर अपराध का दायरा और दुष्प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए पुलिस कर्मियों का आत्मविश्वास और कौशल जितना बढ़ेगा, उतना ही नागरिकों का पुलिस पर विश्वास और भरोसा भी सुदृढ़ होगा।

7. साइबर सुरक्षा में नागरिक सहभागिता

साइबर क्राइम से बचाव हेतु मजबूत पासवर्ड एवं अपडेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें और सदैव सतर्क रहें।

- उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक-केंद्रित, त्वरित एवं पारदर्शी साइबर कानून प्रवर्तन के साथ-साथ राज्य को साइबर अपराध-मुक्त तथा देश को साइबर नियंत्रण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
- यह लक्ष्य तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक सतर्क, सजग और सहयोगी बनकर इस मिशन में सहभागी बने।
- सुरक्षित डिजिटल उत्तर प्रदेश तभी बनेगा जब जनता और पुलिस साथ हों।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर क्राइम नियंत्रण के प्रयास एवं प्रगति

उत्तर प्रदेश पुलिस न केवल अपराधियों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई कर रही है, बल्कि हर नागरिक को सुरक्षित डिजिटल जीवन प्रदान करने के मिशन पर निरंतर अग्रसर है।

दिनांक 07.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 11/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय गीत ''वन्दे मातरम'' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम

आज दिनांक 07.11.2025 को बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार में एक गरिमामय एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय भावना तथा मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगीत वन्देमातरम के सामूहिक गायन के साथ–साथ इस ऐतिहासिक क्षण से संबंधित कार्यक्रम एवं माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा इस अवसर पर दिए गए सम्बोधन का सीधा प्रसारण देखा गया।

इस अवसर पर **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0**, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं तथा अपर पुलिस महानिदेशक यातायात सहित पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ की बैण्ड टीम द्वारा राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम' की मनोहारी एवं उत्साहपूर्ण धुन प्रस्तुत की गई, जिसने उपस्थितजनों में राष्ट्रप्रेम की सजीव अनुभूति उत्पन्न की। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए **श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** द्वारा 35वीं वाहिनी पीएसी की बैण्ड टीम को पुरस्कृत किया गया।

इसके अतिरिक्त 35वीं वाहिनी पीएसी एवं 32वीं वाहिनी पीएसी की बैण्ड टीमों द्वारा जनपद लखनऊ के विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थलों–डा० राममनोहर लोहिया पार्क गोमतीनगर, हजरतगंज, रेलवे स्टेशन चारबाग, परिवर्तन चौक, 1090 चौराहा, जनेश्वर मिश्र पार्क, हाईकोर्ट के निकट क्षेत्र तथा आलमबाग बस स्टेशन पर 'वन्दे मातरम' की आकर्षक एवं प्रभावशाली प्रस्तुति दी गई।

GROUND FLOOR TOWER 3

पुलिस मुख्यालय

दिनांक 07.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 12/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टीएफ0–जनपद गोण्डा से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त श्रीप्रकाश शर्मा नई दिल्ली से गिरफ्तार।

दिनांकः 06–11–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना परसपुर, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2), 351(3) बीएनएस में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त श्रीप्रकाश को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

श्रीप्रकाश शर्मा पुत्र राम कुमार शर्मा निवासी करडू पुरे बरईन, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

मेन मुबारकपुर रोड, किरारी शनि बाजार मोड़ वषिष्ठ यूनिफार्म के सामने, थाना प्रेम नगर, नई दिल्ली।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में पुरस्कार घोषित फरार अपराधियो के सम्बन्ध में सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक उ0नि0 प्रताप नारायण सिंह, मु0आ0 दिलीप कुमार, मु0आ0 कुलदीप सिंह, मु0आ0 राजेश, भूपेन्द्र सिंह डागी, चालक नागेश मिश्रा की टीम भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि थाना परसपुर, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2025 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी श्रीप्रकाश नई दिल्ली में छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा मेन मुबारकपुर रोड, किरारी शनि बाजार मोड़ वषिष्ठ यूनिफार्म के सामने, थाना प्रेम नगर, नई दिल्ली से वांछित अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अखिलेन्द्र प्रताप सिंह निवासी पुरैना, थाना क्षेत्र परसपुर, गोण्डा से असाशकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में लिपिक के पद पर नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उनसे पैसा ले लिया था।

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	83/2023	333 भादवि 15(5) मेडिकल एक्ट	परसपुर	गोण्डा
2	549/2025	316(2), 318(4), 351(3) बीएनएस 3(1)(घ), 3(1)(द),एससी/एसटी एक्ट	कोतवाली नगर	गोण्डा
3	203/2025	316(2) 318(4), 351(3), 352 बीएनएस एवं 3(1)(घ), 3(1)(द),3(2)(व) एससी/एसटी एक्ट	करनैलगंज	गोण्डा

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना परसपुर, गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2025 में दाखिल किया गया अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 08 लाख 07 हजार रूपये नगद**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 07.11.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पक्का पुल के पास से अभियुक्त 1–सुशील 2–सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 08 लाख 07 हजार रूपये नगद, लगभग 10 लाख रूपये कीमत की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.11.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुशील निवासी ग्राम नरहरा थाना महोली जनपद सीतापुर।

2–सिद्धार्थ निवासी ग्राम नरहरा थाना महोली जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी के 08 लाख 07 हजार रूपये नगद।

2–लगभग 10 लाख रूपये कीमत की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

जनपद उन्नाव/थाना सोहरामऊ

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 लाख 02 हजार 200 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 06.11.2025 को थाना सोहरामऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा सोहरामऊ से अभियुक्त नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख 02 हजार 200 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.11.2025 को थाना सोहरामऊ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सोहरामऊ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नीरज निवासी ग्राम भौली थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–चोरी के 03 लाख 02 हजार 200 रूपये नगद आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना बडगांव

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 350 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.11.2025 को थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दल्हेडी पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–अदनान 2–जुनैद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 350 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बडगांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अदनान निवासी ग्राम धानवा थाना तितरो जनपद सहारनपुर।

2–जुनैद निवासी ग्राम धानवा थाना तितरो जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 350 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना विन्ध्याचल

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 07.11.2025 को थाना विन्ध्याचल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ओझला पुल दुधनाथ तिराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1–जितेन्द्र उर्फ जीतू 2–संदीप उर्फ भानू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र उर्फ जीतू निवासी बहेरी थाना मऊगंज जनपद मऊगंज मध्यप्रदेश।

2–संदीप उर्फ भानू निवासी ढेरा थाना मऊगंज जनपद मऊगंज मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन।

- **जनपद बलरामपुर/थाना को0गैसड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 09 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलरामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलरामपुर द्वारा थाना को0गैसड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/308/148/504/506/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–वासुदेव 2–दुर्गेश 3–अशोक कुमार 4–लहिराम एवं पाँच अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर/थाना सदरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना सदरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 65(2)/127(2)/351(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सम्भल/थाना कुढ़फतेहगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना कुढ़फतेहगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––